



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082024-256598
CG-DL-E-23082024-256598

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2024/भाद्र 1, 1946

No. 477]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024

सं. 15/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 516(अ).—जबकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 3904 के अंतर्गत आने वाले, चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया जाएगा) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन (सीपीवीसी) - चाहे इनसे आगे यौगिक बनाया गया हो या नहीं" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया जाएगा), जिस पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 05/2020-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 7 मार्च, 2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 164(अ), दिनांक 7 मार्च, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से प्रतिपादन शुल्क लगाया गया, के आयात पर प्रतिपादन शुल्क जारी रखने के मामले में अधिसूचना संख्या 7/28/2023- डीजीटीआर, दिनांक 29 दिसंबर, 2023, जिसे दिनांक 29 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की

पहचान, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार समीक्षा शुरू की थी;

और जबकि, विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड 1, दिनांक 25 मई, 2024 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/28/2023-डीजीटीआर, दिनांक 25 मई, 2024 के तहत प्रकाशित किए गए थे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

- (i) सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत को विषयगत माल का निर्यात जारी है, जिसके परिणामस्वरूप विषयगत माल की डंपिंग हो रही है;
- (ii) विषयगत देशों से डंड आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं;
- (iii) उपायों की समाप्ति की स्थिति में और यदि प्रतिपाटन उपायों में संशोधन नहीं किया जाता है, तो विषयगत देशों से डंपिंग की संभावना है तथा क्षति की संभावना है,

और घरेलू उद्योग को क्षति से बचाने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की है।

अब, इसलिए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 05/2020-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 7 मार्च, 2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 164 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा संबद्ध वस्तु पर, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के कॉलम (2) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, उक्त तालिका के कॉलम (4) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से उद्भूत है, कॉलम (5) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है, कॉलम (7) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्देशन की है, कॉलम (8) की संगत प्रविष्टि में इंगित राशि के बराबर दर पर, कॉलम (9) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में तथा कॉलम (10) की संगत प्रविष्टि में माप की विनिर्दिष्ट इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, अर्थातः

तालिका

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	उद्गम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	विनिर्देश	राशि	मुद्रा	माप की इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	39041010 39041020 39041090 39042100 39042200	क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) - चाहे इनसे आगे	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी	सीपीवीसी रेजिन	790	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
2	39043090 39044000 39045090 39046990 39049010 39049090	यौगिक बनाया गया हो या नहीं	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी	सीपीवीसी यौगिक	605	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन

3		चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	सीपीवीसी रेजिन	790	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
4		चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	सीपीवीसी यौगिक	605	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
5		कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	हनव्हा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	सीपीवीसी रेजिन	593	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
6		कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	हनव्हा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	सीपीवीसी यौगिक	792	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
7		कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	उपर्युक्त के अलावा कोई अन्य उत्पादक	सीपीवीसी रेजिन	593	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
8		कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	उपर्युक्त के अलावा कोई अन्य उत्पादक	सीपीवीसी यौगिक	792	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
9		चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य के अलावा कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	सीपीवीसी रेजिन	593	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
10		चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य के अलावा कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	सीपीवीसी यौगिक	792	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन

नोट:- सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। यदि उत्पाद का आयात किसी अन्य कोड के तहत किया जाता है, तो उस पर पाटनरोधी शुल्क लगेगा।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा (जब तक कि इसे पहले ही रद्द, प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जाता है) और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में निर्दिष्ट की गई होगी, और विनिमय दर के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के तहत आयात पत्र पर प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/117/2024-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2024

No. 15/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 516(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification number 7/28/2023- DGTR, dated the 29th December, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th December, 2023, initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin (CPVC)-whether or not further processed into compound” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under heading 3904 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) number 05/2020-Customs (ADD), dated the 7th March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 164(E), dated the 7th March, 2020;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, *vide* notification number 7/28/2023-DGTR, dated the 25th May, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated the 27th May, 2024, has come to the conclusion that-

- (i) the subject goods continue to be exported to India at prices below the normal value, resulting into dumping of the subject goods;
- (ii) dumped imports from subject countries are causing injury to the domestic industry;
- (iii) there is likelihood of dumping and likelihood of injury from the subject countries in an event of expiry of measures and if the anti-dumping measures are not modified,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 05/2020-Customs (ADD), dated the 7th March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 164(E), dated the 7th March, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2),

originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), of specification as specified in the corresponding entry in column (7), an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as indicated in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table, namely :-

TABLE

S. No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Specification	Amount	Currency	Unit of measurement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	39041010 39041020 39041090 39042100 39042200	Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) - whether or not further processed into compound	China PR	Any country including China PR	Any	CPVC resin	790	USD	MT
2	39043090 39044000 39045090 39046990 39049010 39049090		China PR	Any country including China PR	Any	CPVC compound	605	USD	MT
3			Any country other than China PR and Korea RP	China PR	Any	CPVC resin	790	USD	MT
4			Any country other than China PR and Korea RP	China PR	Any	CPVC compound	605	USD	MT
5			Korea RP	Any country including Korea RP	Hanwha Solutions Corporation	CPVC resin	593	USD	MT
6			Korea RP	Any country including Korea RP	Hanwha Solutions Corporation	CPVC compound	792	USD	MT
7			Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than mentioned above	CPVC resin	593	USD	MT
8			Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than mentioned above	CPVC compound	792	USD	MT
9			Any country	Korea RP	Any	CPVC resin	593	USD	MT

			other than China PR and Korea RP						
10			Any country other than China PR and Korea RP	Korea RP	Any	CPVC compound	792	USD	MT

Note:— Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration. If the product is imported in any other code, the same is liable to anti-dumping duty.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.— For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/117/2024-TRU Section-CBEC]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.